खंड 1 संख्या 121

राष्ट्र महिला

अगस्त 2009 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

स्वतंत्रता के बाद से देश ने जो विकास किया है उसके बावजूद, आज भी किसी युवक अथवा युवा जोड़े की इसलिए हत्या कर दी जाती है कि उसके विवाह से परिवार की सामाजिक श्रेष्ठता या सम्मान को ठेस पहुँची है।

झज्जर में एक सर्व महाखाप पंचायत की बैठक से ठीक पूर्व एक युवा जोड़े की लाशों को एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया। प्रेम विवाह के लिए चुपचाप भाग जाने पर, इस जोड़े के भाग्य पर पंचायत अपना निर्णय देने वाली थी। जींद के एक गांव में जब एक युवक अपनी पत्नी को लेने घर गया तो उसे पीट-पीट कर मार डाला गया। रोहतक जिले में एक लड़की के परिवार वालों द्वारा युगल की गला घोंट कर हत्या कर दी गयी। ये घटनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि गांवों में आम लोगों की विचारधारा अब तक कितनी कट्टर और अड़ियल बनी हुई है।

उपरोक्त प्रकार के मामलों में खाप (जाति) पंचायत उन लोगों के विरुद्ध अपना निर्णय सुनाती है जोकि प्रचलित जातिगत प्रथाओं के विरुद्ध जाते हैं, और शेष गांव उस सज़ा का समर्थन करता है तथा इसके लिए जो भी तरीके अपनाने पड़ें अपनाता है।

इन घटनाओं को केन्द्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रीय कलंक की संज्ञा देते हुए खुले रूप से इस अमानुषिक प्रथा को उजागर किया जो देश के विभिन्न भागों में लम्बे अरसे से चली आई है और अब भी चल रही है। उन्होंने कहा कि "परिवार अथवा महिला के सम्मान की रक्षा के नाम में कुछ जघन्यतम अपराध अंजाम किए जाते हैं" जो हत्या के अलावा कुछ और नहीं।

इनमें से बहुत से मामलों में स्थानीय कानून-प्रवर्तन अधिकारी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, सहनशीलता और टालमटोल का मार्ग अपनाते हैं और गांव के बड़ों के जाति और गोत्र पर आधारित घिसे-पिटे विश्वासों पर अंजाम की गयी गैर-कानूनी कार्यवाइयों की अनदेखी कर देते हैं। पुलिस तथा प्रशासन देश के कानून का पालन करने की अपेक्षा सामाजिक मान्यताओं से संगत हो जाने में अधिक निश्चिंत महसूस करते हैं।

चर्चा में — सम्मान हत्याओं में कोई सम्मान नहीं

विवाह के बारे में जाति तथा गोत्र के सुधार-विरोधी सिद्धांतों से सदृश न होने वाले लोगों को मृत्युदंड का आदेश देने वाले जिन गांव के बड़ों ने ऐसा घोर गुनाह किया हो उनके प्रति पुलिस की अकर्मण्यता एवं सरकारी अ-संवेदिता से निश्चय ही अपराधियों का हौसला बढ़ता है।

इस मुद्दे पर गृह मंत्री अधिक प्रभावकारी हो सकते हैं। उन्हें आश्वस्त करना चाहिए कि इन घृणित हत्याओं को अंजाम देने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाई की जाये और प्रत्येक ऐसे अमानुषिक कार्य के लिए पुलिस तथा स्थानीय प्रशासन को उत्तरदायी बनाया जाये ताकि वे रोकथामी कार्यवाई करने पर मजबूर हों।

कुछ लोगों का मत है कि 'सम्मान हत्याओं' को रोकने के लिए एक अलग कानून बनाया जाना चाहिए। किन्तु इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि सम्मान हत्याएं तो हत्याएं ही हैं और यह पर्याप्त है कि हत्या के रूप में ही इनकी जांच-पड़ताल और अभियोजन होना चाहिए तथा भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत त्वरित न्यायालयों में ऐसे हत्यारों पर मुकदमा चला कर उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक कि कानून भंग करने वालों के मन में कानून का भय नहीं बिठाया जायेगा तब तक इस प्रकार की राष्ट्रीय शर्मिन्दगी उठाने वाली घटनाएं घटती रहेंगी।

संकटग्रस्त महिलाएं दिन में भी 100 नम्बर डायल कर गाड़ी मंगा सकती हैं

कोई संकट पड़ने पर, महिलाएं टैक्सी मंगाने के लिए 100 नम्बर डायल कर सकती हैं। प्रतीक्षा कर रही महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराधों की दृष्टि में, दिल्ली पुलिस ने संकटग्रस्त महिलाओं को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए चौबीसों घंटे की सुविधा प्रदान की है। अब तक महिलाओं के लिए यह सुविधा केवल रात्रि में उपलब्ध थी।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सिपाहियों को हिदायत दी है कि यदि कोई महिला, जो अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पा रही है, पीसीआर को फोन करे तो दिन और रात में उसे तुरंत यह सुविधा प्रदान की जाये। पीसीआर वैन के पुलिस कर्मियों को ये निदेश भी दिए गये हैं कि किसी महिला द्वारा चलाई जा रही गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी आ जाये तो गाड़ी को अन्य वाहन द्वारा खिंचवा कर पास के पेट्रोल पम्प पर पहुंचा दिया जाये।

बलात्कार पीड़ित सहायता योजना पर राष्ट्रीय सेमिनार

देश भर में बलात्कार पीड़ित महिलाओं को नकदी के रूप में राहत एवं पुनर्वास सहायता पहुंचाने के प्रयोजन से राष्ट्रीय महिला आयोग ने "बलात्कार पीड़ितों के लिए योजना" विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया। इस अवसर पर बोलते हुए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा सुश्री बरखा सिंह ने कहा कि चूंकि आपराधिक न्याय प्रणाली में बलात्कार पीड़ितों को तत्काल राहत दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इन पीड़ितों को अपनी एफआईआर दर्ज कराने, डाक्टरी मुआइने के लिए ले जाने, जांच-पड़ताल में सहायता करने और मुआवज़ा दिलाने में उनकी सहायता करने के लिए दिल्ली महिला आयोग ने बलात्कार संकट केन्द्र स्थापित किए हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राज्यों की महिला आयोगों की अध्यक्षाएं ज्योति प्रज्वलित करते हुए। बाईं ओर सदस्य सचिव श्री एस. चटर्जी

प्रमुख भाषण में, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि बलात्कार पीड़िता को न केवल मानसिक एवं शारीरिक यातना होती है, अपितु इस घृणित अपराध का शिकार होने पर उसे कलंक एवं सामाजिक बहिष्कार का सामना भी करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बलात्कार पीड़ित को दो संकटों से गुजरना पड़ता है - पहला, बलात्कार होने पर और दूसरा मुकदमे के दौरान। यह योजना इस बात का प्रयास है कि बलात्कार पीड़िता प्रतिष्ठा के साथ जीवन बिता सके। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए बजट में 68 करोड़ रुपये की राशि का पुनर्वास अनुदान के रूप में प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि राहत एवं पुनर्वास में कानूनी प्रक्रिया, चिकित्सा और यदि उसे आरोपी के बच्चे का गर्भ है तो उसकी विशेष देखभाल, मनोवैज्ञानिक मंत्रणा, शिक्षा, सुरक्षित पनाह - विशेषकर संगोत्र बलात्कार के मामलों में - भी शामिल हैं ताकि पीड़ित को दृढ़ और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया जा सके।

सेमिनार में सुश्री बरखा सिंह, डॉ. गिरिजा व्यास, सुश्री वानसुक सयीम, श्री एस. चटर्जी

सेमिनार में राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, पुलिस, न्यायपालिका और मीडिया के प्रतिनिधियों तथा राज्यों के महिला आयोगों की अध्यक्षाओं ने भाग लिया। कुछ सिफारिशें ये हैं :-

1. इस योजना को विस्तृत करके इसमें बलात्कार पीड़ितों के अतिरिक्त तेजाब आहतों को भी शामिल किया जाये।
2. बलात्कार पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए एक आपराधिक आघात राहत एवं पुनर्वास बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए।
3. इस योजना के अंतर्गत, बलात्कार पीड़िता को 2 लाख रुपये की अंतरिम सहायता दी जायेगी।
4. इस योजना के प्रावधानों के अंतर्गत, पीड़िता को पुनर्वास के प्रयोजन के लिए 20,000/- रुपये और 50,000/- रुपये की अंतरिक सहायता भी दी जायेगी।
5. इस योजना के अंतर्गत, मामलों की परख के लिए जिला स्तरीय निकायों की स्थापना की जायेगी और तदनुसार ही राहत राशि वितरित की जायेगी।
6. वित्तीय मुआवजे का भार आरोपी पर डाला जाना चाहिए जब कि पीड़िता के परिवारों को सरकार अन्य राहतें प्रदान करेगी।
7. सामूहिक बलात्कार के मामलों में अधिकतम राहत दी जानी चाहिए और विशेष मामलों में यह राशि 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जा सकती है।
8. योजना में ऐसे जांच अधिकारियों के विरुद्ध जो अपने कार्य में अकर्मण्यता दिखाएं दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए और योजना के दुरुपयोग को रोकने के पर्याप्त पूर्वोपाय किए जाने चाहिए।

डॉ. गिरिजा व्यास आगन्तुकों को संबोधित करते हुए

कुछ अलग से

हरियाणा के एक दूरस्थ गांव कोथाल दुर्ग की कुछ कर्मठ महिलाओं के एक दल की बदौलत, अब वहां कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता। इस चार वर्ष के लम्बे अभियान की कर्ताधर्ता तीस वर्ष से कुछ ऊपर की आयु वाली दलित सरपंच रोशनी देवी है, जो कोथाल खुर्द की एकमात्र दलित ग्रेजुएट है। उसने अपने चुनाव अभियान के दौरान वादा किया था कि यदि वह निर्वाचित हो गयी तो सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान बंद करवा देगी क्योंकि लगातार वर्षों से कोथाल खुर्द तथा पास के गांव की महिलाओं को अपने शराबी पतियों की हिंसा झेलनी पड़ रही थी। रोशनी देवी को उसके नौ विरोधी उम्मीदवारों को मिलाकर मिले मतों से भी अधिक मत मिले। पुरुष वर्चस्व वाले इस गांव में इस बात से काफी बदभजगी पैदा हुई।

परिणामस्वरूप, उसके सरपंच बनने के पहले ही दिन, कुछ अगड़ी जाति के लोगों ने उसे गालियां दीं और उसकी सभा में बाधा डाली और उसे अपना कर्तव्य-वहन नहीं करने दिया। स्थानीय पुलिस केन्द्र के अधिकारी से अपनी शिकायत की कोई सुनवाई न होने पर, वह एसपी से मिली जिन्होंने पुलिस केन्द्र अधिकारी को कार्यवाई करने का आदेश दिया।

यह समझ में आने पर कि वह पीछे हटने वाली नहीं है, गांव के बड़ों ने उससे अपनी शिकायत वापस लेने को कहा। इसके लिए उसने एक शर्त रखी। उन्हें गांव में और गांव के इर्दगिर्द सभी शराब की दुकानें बंद करनी होंगी। कस कर बातचीत का दौर चला, परन्तु अंततः पुरुषों ने हथियार डाल दिए। एक महीने के अंदर, तीन दुकानें बंद हो गयीं। परन्तु पुरुष फिर भी पड़ोस के गांवों से और अवैध स्रोतों से शराब लेते और पीकर घर लौटते।

तब गांव की महिलाओं ने दल बनाये और हर शाम सड़कों पर गश्त लगाना प्रारंभ कर दिया। जो लोग पीते हुए पाये जाते उन्हें वे दुतकारतीं और यहां तक कि उनकी पिटाई भी करतीं। धीरे-धीरे स्थिति ने पलटा खाया। कुछ पुरुषों ने शराब बिल्कुल छोड़ दी; कुछ ने अपनी रोज़ की मात्रा में कमी कर दी और केवल घर के अन्दर ही पीने का वायदा किया।

इसके बाद अन्य गांवों की महिलाओं ने पुरुषों को अपने घरों से बाहर पीने से रोकने के लिए स्वैच्छिक दल बनाए। भले यह छोटी शुरुआत हो, किन्तु इन गांवों की महिलाओं को विश्वास है कि उनके प्रयास शीघ्र ही सफल होंगे।

चयन समितियों में महिलाएं

केन्द्रीय कार्मिक मंत्रालय ने यह अनिवार्य कर दिया है कि केन्द्र सरकार में दस से अधिक लोगों के चयन के लिए निर्मित प्रत्येक चयन समिति में कम से कम एक महिला सदस्य अवश्य होगी ताकि किसी महिला उम्मीदवार के साथ भेदभाव न हो।

एक परिपत्र में कार्मिक मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों एवं विभागों से कहा कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आने के लिए भरसक प्रचार करें और विज्ञापनों में सरकार के लिए काम करने के लाभों पर प्रकाश डालें।

महिलाएं भारतीय सीमा की रक्षा करेंगी

भारत में पहली बार अर्ध सैनिक बल की 640 महिलाओं के एक जत्थे ने सीमा सुरक्षा बल के 36 सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा किया। उन्हें पंजाब में सीमा से लगी चौकियों में नियुक्त किया जायेगा जहां वे उन महिलाओं की तलाशी लेंगी जो बाड़ों को पार करके खेती के लिए आती हैं।

आवश्यक होने पर, महिला कार्मिकों की सेवाएं सीमा सुरक्षा बल द्वारा निभाई जा रही आंतरिक सुरक्षा एवं द्रोह विरोधी भूमिका में भी प्रयुक्त की जा सकती हैं।

पहले जत्थे का प्रशिक्षण 10 नवम्बर, 2008 को प्रारंभ हुआ था और, दो वृत्तों को छोड़कर, उन्हें पुरुष कांस्टेबलों के स्तर का प्रशिक्षण ही दिया गया। उन्हें दैहिक अभ्यास, ड्रिल, फील्ड इंजीनियरिंग, कैम्प ट्रेनिंग, गुप्त सूचना संकलन, आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी तथा प्राकृतिक आपदा के बारे में शिक्षित किया गया।

आयोग ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी

राष्ट्रीय महिला आयोग ने पूर्वी दिल्ली में एक 28-वर्षीय महिला के जल कर मर जाने की घटना का स्वतः संज्ञान लिया और पुलिस से रिपोर्ट मांगी कि क्या कार्यवाई की गयी है। सात दिन के भीतर रिपोर्ट आ जायेगी।

विधि आयोग विवाह कानून में एक नयी धारा जोड़ने के पक्ष में

भारतीय विधि आयोग ने हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में एक नयी धारा 17क जोड़ने की सिफारिश की है जिसके अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत विवाहित कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद भी तब तक दूसरा विवाह नहीं कर सकेगा जब तक कि पहला विवाह कानूनन भंग न हुआ हो।

विधि मंत्रालय को दी गयी अपनी नवीनतम रिपोर्ट में विधि आयोग ने कहा कि "विवाहित पुरुष, जिनका वैयक्तिक कानून द्विविवाह की अनुमति नहीं देता, दूसरा विवाह रचने के लिए इस्लाम में धर्म-परिवर्तन कर लेने की अनैतिक और आचारहीन प्रथा अपना लेते हैं।"

सैनिक अधिकारी की पत्नी की शिकायत

राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक सैनिक अधिकारी की पत्नी की शिकायत दर्ज की है जिसने सेना पत्नी कल्याण कार्यवाइयों के नाम में चल रहे उत्पीड़न के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई थी।

रोज़मी दुबे राष्ट्रीय महिला आयोग के सम्मुख उपस्थित हुयीं और अपनी शिकायत दर्ज करायी। वह आयोग की मंत्रणाकार से भी मिलीं और कल्याण के बहाने उनके तथा अन्य सैनिक पत्नियों के समक्ष आने वाली समस्याएं बताईं। उनकी शिकायत आयोग की सदस्याओं को कार्यवाई के लिए निर्दिष्ट कर दी गयी है।

महत्वपूर्ण निर्णय

● घरेलू हिंसा की पीड़िताओं को उच्च न्यायालय से राहत मिली

घरों में पीटे जाने वाली महिलाओं को एक बड़ी राहत देते हुए, बम्बई उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि घरेलू हिंसा के मामले की सुनवाई करने वाली अदालत को पीड़ित को अंतरिम मुआवज़ा देने के लिए संरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट मिलने तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। घरेलू हिंसा के मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत अपने सम्मुख दायर किए गये दस्तावेजों के आधार पर इस बारे में निर्णय ले सकती है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि "यदि मुकदमा न्यायालय, जिसे इस बारे में आदेश देना है, संरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करता रहेगा, तो विलम्ब होगा और एक जरूरतमंद व्यक्ति को अंतरिम राहत देने का प्रयोजन बेमानी हो जायेगा" और मुकदमा न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें पति को आदेश दिया गया था कि अपनी पत्नी तथा बच्चे को 1,800/- रुपये प्रति मास अंतरिम भरण-पोषण दे।

● लम्बे अरसे तक साथ-साथ रहना विवाह जैसा है : उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यदि एक पुरुष और एक महिला लम्बे अरसे से साथ-साथ रह रहे हैं और समाज द्वारा उन्हें पति और पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, तो इसे एक वैध विवाह के रूप में स्वीकारा जा सकता है।

खंडपीठ ने कहा कि वैध विवाहों संबंधी विवाद उठाए जायें, तो न्यायालय दोनों पक्षों के व्यवहार के आधार पर धारणा बना सकते हैं। तथ्य तक पहुंचने में मुकदमा न्यायाधीश पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गये साक्ष्य का विश्लेषण कर सकता है ताकि इस नतीजे पर पहुंच सके कि हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5 में सन्निहित एक वैध विवाह के सभी तत्व स्थापित हुए हैं या नहीं।

● 18 वर्ष से कम आयु की लड़की द्वारा दी गयी संभोग की स्वीकृति अवैध : उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने कहा है कि चूंकि 16 वर्ष की लड़की को संभोग की स्वीकृति देने के लिए मानसिक एवं दैहिक रूप से सक्षम नहीं समझा जाता, इसलिए ऐसी सहमति को अपनी स्वतंत्र इच्छा से दी गयी सहमति नहीं माना जा सकता।

न्यायालय ने ये विचार एक अपील की सुनवाई के दौरान व्यक्त किए जो एक बलात्कार के आरोपी को सात वर्ष के कठोर कारावास दिए जाने के विरुद्ध दायर की गयी थी। अपील में सज़ायाफ्ता ने कहा था कि बलात्कार के समय लड़की की आयु 17 वर्ष थी और उसने दैहिक संबंध बनाने की स्वीकृति दे दी थी।

मामले की परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय ने अपील खारिज कर दी और सज़ा को बरकरार रखा और कहा कि स्वीकृति स्वैच्छिक नहीं थी।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट :
www.ncw.nic.in

सदस्यों के दौरे

सदस्या नीवा कंवर ने सिबसागर, असम में "महिला सशक्तिकरण" पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भाग लिया। बिहार के राज्यपाल और पूर्व-मंत्री श्री देवानंद कंवर ने सेमिनार का उद्घाटन करते हुए कहा कि कोई भी देश जिसकी आधी जनसंख्या सशक्तिकृत नहीं है तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने स्वतंत्रता-पश्चात ग्रामीण क्षेत्र में विकास की धीमी दर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से सशक्तिकृत किए जाने की आवश्यकता है।

सुश्री नीवा कंवर सेमिनार को संबोधित करते हुए

अपने अध्यक्षीय भाषण में सुश्री नीवा कंवर ने महिलाओं से कहा कि उन्हें महिलाओं के सशक्तिकरण संबंधी कानूनों एवं योजनाओं से अवगत होना चाहिए। सेमिनार में राज्य के विभिन्न संगठनों तथा स्व-सहायी ग्रुपों की 500 महिलाओं ने भाग लिया।

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।